

रतीगराज बजाज वंशीकर
 हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर जज
 आरक्षण इस्मार रिष्ट. 25.10.2023

25-10-23

पत्रावली पेश हुई। वक्तव्य उभय पक्षवत् उपस्थित। पत्रावली को अग्रिम में भेजा जा रहा है।
 दिनांक 26-10-23 को पेश हो।

26-10-23

पत्रावली पेश हुई। वक्तव्य उभय पक्षवत् उपस्थित। पत्रावली को अग्रिम में भेजा जा रहा है।
 दिनांक 31-1-24 को पेश हो।

31-1-24

पत्रावली पेश हुई। वक्तव्य उभय पक्षवत् उपस्थित। पत्रावली को अग्रिम में भेजा जा रहा है।
 दिनांक 12-3-24 को पेश हो।

12.03.2024

वकील प्रार्थी के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 21.05.2024 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। प्रार्थी की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थी के वारिस अर्जुनलाल की ओर से श्री मुरलीधर सैनी एड0 ने उपस्थित होकर प्रकरण में प्रार्थी के पुत्र व अप्रार्थीगण के मध्य सामाजिक समझौता होकर के वाद का निस्तारण हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे न चलाकर इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के वारिस अर्जुनलाल व ओमप्रकाश व वकील श्री मुरलीधर सैनी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। फंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(अनिल कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी श्रीमंगलपुर